बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–5–03/19 -256 /पटना, दिनांक :– 25.01.25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–RWD/I.A.P/19/ET/2012-13 के निविदा निष्पादन प्रक्रिया में अनियमितता की जॉच मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग से कराई गई। मुख्य अभियंता–4 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि उक्त निविदा आमंत्रण के संदर्भ में तीन निविदादाताओं द्वारा निविदा डाली गयी थी एवं तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद द्वारा मॉ शारदा कन्सटक्शन के निविदा को तुलनात्मक विवरणी में दर्शायी गयी त्रुटि के आधार पर बिना जॉच किए निविदा निष्पादित कर दी गयी।

2. उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निविदा निष्पादन में पाई गई त्रुटियों के लिए विभागीय पत्रांक 3835 दिनांक 20.10.2014 द्वारा चिन्हित कार्यपालक अभियंता श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

3. श्री पासवान द्वारा पत्रांक 01 कैम्प दिनांक 09.04.2015 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकारयोग्य पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर संकल्प सं0 493 दिनांक 01.02.2016 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता–4 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 2051 दिनांक 11.04.2017 के माध्यम से समर्पित जॉच प्रतिवेदन में यह मंतव्य दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह कहना है कि माँ शारदा कन्सट्रक्शन को वैध लेबर लाईसेंस नहीं होने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। EMD One Day Late लिखा गया है जो गलत है। C/S तैयार करने का दायित्व रोकड़पाल का था। C/S में जाँच कर अनुशंसा करने का दायित्व Divisional Account Officer का था। Divisional Account Officer द्वारा C/S पर केवल एक ही संवेदक के नाम की अनुशंसा की गयी है। Divisional Account Officer की ऐसी अनुशंसा में कार्यपालक अभियंता को पूर्णतः दोषी नहीं माना जा सकता है। चूँकि अंतिम निर्णय कार्यपालक अभियंता का था, अतः कार्यपालक अभियंता को आंशिक रूप से दोषी माना जा सकता है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 953 दिनांक 22.05.2017 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई।

6. श्री पासवान द्वारा पत्रांक 01 दिनांक 06.07.2017 के माध्यम से बचाव बयान समर्पित किया गया। इसी बीच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के पत्रांक 2633 दिनांक 21.06.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें श्री पासवान द्वारा मनमाने ढंग से निविदा निष्पादन के कारण राशि रू0 4,56,456.00 की वित्तीय क्षति होना प्रतिवेदित किया गया, के समीक्षोपरान्त श्री पासवान के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत कर दिया गया।

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

7. मामले की सम्यक विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर एवं बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य प्राप्त कर श्री पासवान के विरूद्ध अधिसूचना सं0–2561–सह–पठित ज्ञापांक–2565 दिनांक–24.10.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vii) के तहत सहायक अभियंता के पद पर स्थायी रूप से अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी एवं इनका वेतन कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि (10.06.2009) के ठीक एक दिन पूर्व का वेतन (19000+5400/–ग्रेड पे) निर्धारित किया गया।

8. श्री पासवान द्वारा उक्त शास्ति के विरूद्ध समर्पित पुनरीक्षण हेतु अपील अभ्यावेदन दिनांक–31.10.2018 को विभागीय अधिसूचना सं0–88 दिनांक–17.01.2019 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

9. श्री रामाशीष पासवान द्वारा उन्हें अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0–756/2019 दायर किया गया एवं पुनरीक्षण हेतु अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने के विरूद्ध IA No.–01/2023 दायर किया गया।

10. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक–25.09.2023 को पारित न्यायादेश में श्री पासवान को विभागीय अधिसूचनां सं0–2561–सह–पठित ज्ञापांक–2565 दिनांक–24.10.2018 द्वारा अधिरोपित शास्ति आदेश एवं श्री पासवान के पुनरीक्षण हेतु अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0–89 दिनांक–17.01.2019 को निरस्त (Set Aside) कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

> *"......................So far as the case in hand is concerned, taking into account the aforesaid facts, in the considered opinion of the Court, the order/Notification no-3/Aa/Pra-1-147/2013-2562 dated 24-10-2018 (Annexure P/10) as also the notification no-89 dated 17-01-2019 Annexure-P/12) issued by the Department need interference. The same are accordingly set aside.*
>
> *The writ petition stands disposed of.*

11. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में किसी प्रकार की सुधार/परिवर्तन संभव नहीं है एवं इस मामले में अपील किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतएव माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

12. अतः CWJC No. 756/2019 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री रामाशीष पासवान तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग क्षेत्रीय प्रयोगशाला दरभंगा के विरूद्ध अधिसूचना सं0–2561–सह–पठित ज्ञापांक–2562 दिनांक–24.10.

2018 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर स्थायी रूप से अवनति की अधिरोपित शास्ति को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.1.24

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–03/19-257 /पटना, दिनांकः– 25.01.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–03/19-257 /पटना, दिनांकः– 25.01.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–03/19-257 /पटना, दिनांकः– 25.01.24

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांकः–2/अ0प्र0–5–03/19-257 /पटना/दिनांकः– 25.01.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव–सह–अपर आयुक्त, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल जहानाबाद/दरभंगा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांकः–2/अ0प्र0–5–03/19-257 /पटना/दिनांकः–25.01.24

प्रतिलिपिः– श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला दरभंगा को इस निदेश के साथ प्रेषित की वे कार्यपालक अभियंता के पद पर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

25.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–03/19-247 /पटना/दिनांक:–25.01.24

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25.1.24
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–03/19-247 /पटना/दिनांक:–25.01.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.1.24
अवर सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in